

प्रारूप 14

[नियम 19(i)(ख) (ii) देखिये]

दूसरी प्रति

(कार्यालय की प्रति)

सेवा में

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया

गया है उसका पूरा नाम और पता)

प्रसंग-आक्षेप संख्यांक

यह सूचना दी जाती है कि

के भाग

जो आक्षेप

आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता

ने किया है उसकी सुनवाई 200

के / की

दिन

के

बजे (स्थान) में होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों। आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार हैं :-

(क)

(ख)

(ग)

स्थान

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

प्रारूप 14

[नियम 19(i)(ख) (ii) देखिये]

मूल

(उस व्यक्ति पर जिसके बारे में आक्षेप किया गया है तामील किए जाने के लिए)

सेवा में

(जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया

गया है उसका पूरा नाम और पता)

प्रसंग-आक्षेप संख्यांक

यह सूचना दी जाती है कि

भाग

आक्षेप

आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता

ने किया है उसकी सुनवाई 200

के / की

दिन

के

बजे (स्थान) में होगी। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे साक्ष्य के सहित, जिसे आप देना चाहें, उस सुनवाई के समय उपस्थित हों। आक्षेप के आधार (संक्षेप में) इस प्रकार हैं :-

(क)

(ख)

(ग)

स्थान

तारीख

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर